राजस्थान सरकार
वित्त (G&T-SPFC) विभाग

क्रमांकः एफ 4(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2013 जयपुर. दिनांक : 18.06.2020

परिपत्र

विषयः– राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) में Government e-mail service का उपयोग करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 10.12.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि सभी नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को राज्य लोक उपापन पोर्टल/e-proc पोर्टल पर सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं का उपयोग अनिवार्य है। उक्त कार्य हेतु दिनांक 01.01.2020, तत्पश्चात् 01.02.2020 व 31.03.2020 तक तिथि बढायी गयी थी।

इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.04.2020 द्वारा उक्त कार्य हेतु तिथि दिनांक 01.07.2020 तक बढा दी गई है। सार्वजनिक ई–मेल यथा yahoo/gmail/hotmail/outlook/rediff आदि के माध्यम से संचार/संवाद व्यवस्था का उपयोग दिनांक 01.07.2020 से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों में राज्य लोक उपापन पोर्टल में समस्त नोडल अधिकारी/उपापन संस्थाओं को इस क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि सरकारी ई–मेल सिस्टम/सेवाओं यथा username@rajasthan.gov.in/username@rajasthan.in सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा एवं username@nic.in NIC के इे–मेल का अनिवार्यत उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

18/6/2020

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
8. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

18/6/2020

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

GFRRules-new